	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र सं.: 108/ 156		विषय : मानव संसाधन/2014-15/ 16
उप-विषय : सामान्य / 33		
संदर्भ : प्रका:एचआर:आईआर:एमएसएस:		दिनांक: 28.11.2014

समस्त शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

बैंक ऑफ़ इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना

- **सदस्यों को आवासीय (डॉमिसिलीएटी) व्ययों/बीमा प्रीमियम/ अस्पतालीकरण व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु सीमाओं में परिशोधन**
- **संवर्गवार प्रवेश शुल्क शुरू करना**

हमारे बैंक में, बैंक की सेवा से अधिवर्षिता/वीआरएस पर सेवानिवृत्त हुए स्टाफ सदस्यों के लाभ हेतु 1997 से बैंक ऑफ़ इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा सहायता योजना प्रचलन में है। कथित योजना के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश शाखा परिपत्र क्र. 91/155 दि. 4.12.1997, परिपत्रक 2007-08/48 दि. 11.07.2007 और शाखा परिपत्र क्र. 101/115 दि. 12.09.2007 द्वारा परिचालित किए जा चुके हैं।

2. हम सहर्ष सूचित करते हैं कि पिछली केन्द्रीय कल्याण समिति की बैठक के दौरान, कथित योजना के सदस्यों द्वारा किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु सीमाओं में परिशोधन करने का प्रस्ताव रखा गया था। तदनुसार, 07.10.2014 को आयोजित आरईएमएएस की उपसमिति की बैठक में संदर्भित योजना के तहत प्रतिपूर्ति संबंधी सीमाओं को, कल्याण वर्ष 2015-16से बढ़ाने का निर्णय लिया गया है जो निम्नानुसार है :-

	वर्तमान (कल्याण वर्ष के अनुरूप)	**परिशोधित (कल्याण वर्ष के अनुरूप) (1 मार्च से 28 फरवरी)**
आवासीय व्यय	₹2000/- प्रति कल्याण वर्ष	₹3000/- प्रति कल्याण वर्ष, जो सदस्य के खाते में सीधे जमा किया जाएगा
बीमा प्रीमियम (*) की प्रतिपूर्ति	₹5000/- प्रति कल्याण वर्ष (अधिकतम ₹2500/- प्रति व्यक्ति)	₹7000/- प्रति कल्याण वर्ष (अधिकतम ₹3500/- प्रति व्यक्ति

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA H.O. I. R. DEPT. राजभाषा विभाग

	वर्तमान	परिशोधित
अस्पतालीकरण प्रभार (*)	बिल राशि के 90% की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम ₹5000/- प्रति कल्याण वर्ष के अधीन है (छोटी बीमारी के लिए) बिल राशि के 90% की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम ₹20,000/- प्रति कल्याण वर्ष के अधीन है (बड़ी बीमारी के लिए) तथापि, न्यूरो/कार्डियाक/किडनी/ लिवर/कैंसर सर्जरी से संबंधित अस्पतालीकरण व्यय (सर्जरी प्रभार सहित) यदि ₹**1.00 लाख** से अधिक है तो बिल रकम के 90% की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम ₹**1.00 लाख** के अधीन है।	बिल राशि के 90% की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम **₹10,000/-** प्रति कल्याण वर्ष के अधीन है (छोटी बीमारी के लिए) बिल राशि के 90% की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम **₹30,000/-** प्रति कल्याण वर्ष के अधीन है (बड़ी बीमारी के लिए) तथापि, न्यूरो/कार्डियाक/किडनी/लिवर/कैंसर सर्जरी से संबंधित अस्पतालीकरण व्यय (सर्जरी प्रभार सहित) यदि ₹**1.50 लाख** से अधिक है तो बिल रकम के 90% की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो अधिकतम ₹**1.50 लाख** के अधीन है।

(*)

टिप्पणी :- सदस्य को चिकित्सा बीमा प्रीमियम **अथवा** अस्पतालीकरण व्यय (जैसा भी मामला हो) के प्रतिपूर्ति के लिए **सदस्य के जीवन काल के दौरान वर्तमान दिशानिर्देश को परिशोधित करके ₹1.00 लाख की सीमा से ₹1.50 लाख किया गया है।**

3. कृपया नोट करें कि उपरोक्त पैरा 2 में उल्लेख किए गए सीमा में परिशोधन 1 मार्च 2015 से आरंभ हो रहे कल्याण वर्ष से प्रभावी होंगे अर्थात योजना के सदस्यों द्वारा उक्त तारीख यथा 1 मार्च 2015 के बाद किए गए व्ययों के लिए परिशोधित सीमा लागू होगी।

4. हम यह भी सूचित करते हैं कि **31.10.2014 को अथवा बाद में** सेवानिवृत्त हो रहे सेवानिवृत्त स्टाफ के संवर्ग के अनुसार एक बारगी सदस्यता फीस को निम्नानुसार परिशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

सब-स्टाफ	:	₹10,000/-
लिपिक स्टाफ	:	₹20,000/-
अधिकारी (स्केल III तक)	:	₹30,000/-
अधिकारी (स्कल IV और अधिक)	:	₹35,000/-

कृपया सावधानीपूर्वक नोट करें कि योजना की अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

6. कृपया परिपत्र की विषयवस्तु से सभी सदस्यों को अवगत कराएं।

(चरण सिंह)
महाप्रबंधक (मा.सं.)

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA मुंबई MUMBAI

D:\KAVITA_DATA_BACK-UP\kavita\वर्ष 2014-15\br cir\nov2014\hrd revision in limit for reimbursing domiciliary expenses.docx

	Bank of India Head Office	Human Resources Department, Industrial Relations Division.
Branch Circular No. : 108/156		Sub : Human Resources / 2014-15/ 16
Sub-subject : General / 33		
Ref : HO:HR:IR:MSS:		Date: 28.11.2014

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES

Bank of India Retired Employees' Medical Assistance Scheme

- **Revision in the limits for reimbursing Domiciliary expenses / Insurance Premium / Hospitalisation expenses to the members.**
- **Introduction of cadre-wise entrance fee**

Bank of India Retired Employees' Medical Assistance Scheme, is in operation in our Bank since 1997 for the benefit of the staff members who have retired from the Bank's service on Superannuation/VRS. Detailed guidelines / instructions in respect of the said Scheme have been circulated vide Branch Circular No. 91/155 dated 4th December, 1997, Circular letter No. 2007-08/48 of 11.07.2007 and Branch Circular No. 101/115 of 12.09.2007.

2. We are pleased to advise you that during the last Central Welfare Committee meeting, it was proposed to revise the limits for reimbursement of expenses incurred by members of the said Scheme. Accordingly, in the Sub-committee meeting of REMAS held on 07.10.2014, it has been decided to enhance the limits regarding reimbursement of expenses under the captioned Scheme from the Welfare Year 2015-16, which would be as follows :-

	Existing (Per Welfare Year)	**Revised (Per Welfare Year)** (1st March to 28th Feb.)
Domiciliary expenses	**Rs.2000/-** Per Welfare Year	**Rs.3000/-** Per Welfare Year to be credited directly to the A/c of the member.
Reimbursement of Insurance premium(*)	**Rs.5,000/-** Per Welfare Year (Max. Rs.2,500/- per person)	**Rs.7,000/-** Per Welfare Year. (Max.Rs.3,500/- per person)

....2/-

	Existing	Revised
Hospitalisation expenses (*)	Reimbursement of 90% of the bill amount subject to maximum of **Rs.5,000/-** Per Welfare Year (for minor ailment). Reimbursement of 90% of the bill amount subject to maximum of **Rs.20,000/-** Per Welfare Year (for major ailment). However, <u>in respect of neuro/ cardiac/ kidney / liver/ cancer surgeries,</u> if hospitalisation expenses (including surgery charges) exceed **Rs.1.00 lakh**, 90% of the bill amount subject to maximum of **Rs.1.00 lakh** to be reimbursed.	Reimbursement of 90% of the bill amount subject to maximum of **Rs.10,000/-** Per Welfare Year (for minor ailment). Reimbursement of 90% of the bill amount subject to maximum of **Rs.30,000/-** Per Welfare Year (for major ailment). However, <u>in respect of neuro/ cardiac/ kidney / liver/ cancer surgeries,</u> if hospitalisation expenses (including surgery charges) exceed **Rs.1.50 lakh**, 90% of the bill amount subject to maximum of **Rs.1.50 lakh** to be reimbursed.

(*)
Note :- Existing guidelines for reimbursement of medical insurance premium **OR** hospitalisation expenses (as the case may be) to the member **subject to the ceiling of Rs.1.00 lakh stands revised to Rs. 1.50 lakh during the life time of the member.**

3. Please note that the revision in the limits as mentioned in para 2 above are effective from the welfare year commencing from 1st March 2015 meaning thereof that the revised limits are applicable for the expenses incurred by the members of the Scheme after the said date i.e. 1st March, 2015.

4. We further wish to advise that it has also been decided to revise one time membership fee as per cadre of the retiring Staff **retiring on or after 31.10.2014** as under :-

Sub-Staff	: Rs. 10,000/-
Clerical Staff	: Rs. 20,000/-
Officers (Upto Scale III)	: Rs. 30,000/-
Officers (Scale IV & above)	: Rs. 35,000/-

Please importantly note that all other terms and conditions of the Scheme will remain unchanged.

6. Please bring the contents of this Circular to the notice of all staff members.

(CHARAN SINGH)
GENERAL MANAGER (HR)